उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या–1650 / III(1) / 16–09(102)सा0 / 16
देहरादून, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा बॉर्डर ऐरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत इण्डो नेपाल बॉर्डर पर स्वीकृत प्रस्तावित टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग के किमी0 01 से 55 के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 252.81 करोड की स्वीकृति के सापेक्ष प्राप्त रू0 200.00 करोड अवमुक्त किया गया है। वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से भारत सरकार की अपेक्षानुसार पूर्ण किये जाने की दृष्टि से टनकपुर जनपद चम्पावत स्थित "ठुलीगाड" में एक समर्पित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (पी0आई0यू0) का एतद्द्वारा गठन किया जाता है।

2– पी0आई0यू0 के सफल क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग के ढांचे में पूर्व से सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों में से निम्नलिखित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाता है:–

क0 सं0	नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती
1	2	4	3
1.	श्री बी0सी0 पन्त, अधिशासी अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
2.	श्री अनुपम राय, सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
3.	सुश्री नीतू सिंह, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
4.	श्री पी0सी0 पन्त, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
5.	श्री वी0एस0 पोखरिया, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
6.	श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
7.	श्री भगवान सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
8.	श्री प्रेम सिंह नबियाल, कनिष्ठ अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
9.	श्री मुकेश जकारिया, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।
10.	श्री हरीश जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।	पी0आई0यू0, ठुलीगाड़, टनकपुर, चम्पावत।

3– समर्पित परियोजना इकाई में तैनात किये जा रहे अधिशासी अभियन्ता द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को प्रदत्त अधिकारियों के समान ही अधिकारों का उपभोग किया जायेगा। कार्य की स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण आदि दृष्टिकोण से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता प्रश्नगत परियोजना के सन्दर्भ में भी कर्तव्यों का निर्वहन एवं अधिकारों का उपभोग करेंगे।

4– लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती उनके मूल प्रस्ताव संख्या–2172 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार अपने स्तर से आवश्यकतानुसार की जायेगी।

क्रमशः–2

5– प्रश्नगत परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (पी0आई0यू0) का गठन योजना विशेष हेतु किया जा रहा है। योजना की समाप्ति पर यह व्यवस्था स्वयं ही समाप्त हो जायेगी।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– 1650 / III(1)/16–09(102)सा0/16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, चम्पावत।
7. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, चम्पावत।
8. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–1/स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd

पृष्ठांकन संख्या– 2314/05व्यक–सा0/15 दिनांक 27/12/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर/चम्पावत/लोहाघाट/खटीमा।
4. श्री बी0सी0 पन्त, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर।
5. श्री अनुपम राय, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।
6. सुश्री नीतू सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।
7. श्री पी0सी0 पन्त, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

26/12/16
अधिशासी अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
27/12/16

संख्या:– 1814/ III(1)/15–190(PWD)/2001, तद्दिनांक।

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में निःसंवर्गीय पदों का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2831/III(1)/13–70(अधि0)/05, दिनांक 26.12.13, शासनादेश संख्या–1642/III(1)/13–01(05)/2013, दिनांक 09.09.2013 शासनादेश संख्या–759/III(1)/12– 70(अधि0)/05, दिनांक 09.08.12, एवं शासनादेश संख्या–228/III(1)/10–70(अधि0)/05, दिनांक 31.05.10 के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के निर्माण कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के निःसंवर्गीय पद सृजित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–568/03व्यक– सा0/14, दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संवर्गीय, पी0एम0जी0एस0वाई0, ए0डी0बी0 तथा वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त वृत्त/खण्ड/पदों की पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3. विभागीय स्तर से प्राप्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर सम्यक परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय एवं संवर्गीय दोनो प्रकार से पद सृजित हैं। चूंकि पी0एम0जी0एस0वाई0 की योजना पूर्णरूपेण ग्रान्य विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हो गई है, इस दृष्टिगत इस संवर्ग के अन्तर्गत सृजित 152 संवर्गीय पदों एवं 76 सृजित निःसंवर्गीय पदों कुल 228 पदों को को एकीकृत करते हुये निःसंवर्गीय पदों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यो की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 26.12.2013, 09.08.2012 एवं 31.05.2010 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष पूर्व में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सृजित संवर्गीय पदों को सम्मिलित करते हुये अतिरिक्त निःसंवर्गीय पद खण्ड/वृत्त में तालिका के स्तम्भ–5 एवं स्तम्भ–6 में इंगित अस्थाई पद, प्रचलित वेतनमान में दिनांक 28.02.16 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जांये, को सृजित/परिवर्तित/संशोधित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों का विवरण (निःसंवर्गीय)–

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान (₹ में)	पूर्व में सृजित निःसंवर्गीय पदों की संख्या (PMGSY) संवर्गीय पदों को जोड़कर	नवीन निःसंवर्गीय पदों की संख्या	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	37400–67000 ग्रेड पे0 रू 8900	02	00	02	–
2	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 ग्रेड पे0 रू 7600	15	–02	13	ए0डी0बी0, यू0एस0आर0आई0पी0 के निःसंवर्गीय वृत्तों को संवर्गीय में परिवर्तित करने पर निःसंवर्गीय पदों में से 02 पद कम किये गये हैं।
3	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 ग्रेड पे0 रू 6600	37	–01	36	ए0डी0बी0 खण्ड, दुगड्डा के निःसंवर्गीय से संवर्गीय में परिवर्तित कर 01 पद कम किया गया है।
4	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 ग्रेड पे0 रू 5400	70	19	89	11 वर्ल्ड बैंक एवं 09 ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड, कुल 20 खण्डों हेतु सहायक अभियन्ता के 01–01 पद के स्थान पर 02–02 पद सृजित करने पर एवं 01 पद पूर्व से ए0डी0बी0 खण्ड, दुगड्डा हेतु सृजित होने की दशा में केवल 19 पद ही सृजित किये गये हैं।
5	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4600	165	19	184	11 वर्ल्ड बैंक एवं 09 ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड, कुल 20 खण्डों हेतु कनिष्ठ अभियन्ता के 01–01 पद के स्थान पर 02–02 पद सृजित करने पर एवं 01 पद पूर्व से ए0डी0बी0 खण्ड, दुगड्डा हेतु सृजित होने की दशा में केवल 19 पद ही सृजित किये गये हैं।
6.	सहायक शोध अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे0 रू 5400	02	–02	00	पूर्व सृजित निःसंवर्गीय पदों को संवर्गीय में परिवर्तित करने पर।
	गैर तकनीकी संवर्ग (मुख्य अभियन्ता संवर्ग)					
1	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4600	03	00	03	–
2	प्रधान सहायक	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4200	03	00	03	–
3	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू 2800	04	00	04	–

4	कनिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू. 2000	07	00	07	–
5	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड पे रू 2800	04	00	04	–
			(वृत्तीय संवर्ग)			
1	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4600	06	00	06	–
2	प्रधान सहायक	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4200	07	00	07	–
3	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू 2800	21	00	21	–
4	कनिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू 2000	24	00	27	–
5	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू 2800	12	00	12	–
			(खण्डीय संवर्ग)			
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4800	08	00	08	–
2	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4600	12	00	12	–
3	प्रधान सहायक	9300–34800 ग्रेड पे. रू 4200	20	00	20	–
4	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे रू 2800	46	00	46	–
5	कनिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू 2000	59	00	59	–
6	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू 2800	12	00	12	–

आऊट सोर्सिंग के अन्तर्गत पदों का विवरण–

क. सं.	पद का नाम	औसत वेतन प्रतिमाह (₹ में)	पूर्व स्वीकृत पद	प्रस्तावित पदों की संख्या निःसंवर्गीय	कुल	मुख्यालय एवं दायित्व
1	2	3	4	5	6	7
	Programmer	Rs. 20000.00	01	02	03	02 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु।
	Manager HR	Rs. 50000.00	00	01	01	01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
	Manager Technical Traing	Rs. 50000.00	00	01	01	01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
	Contract & Arbitration Exper	Rs. 70000.00	00	01	01	01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
	Asst. Programmer	Rs. 15000.00	00	03	03	03 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
	Geo Technical specialist	Rs. 30000.00	00	01	01	01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
	Cad Engineer	Rs. 30000.00	00	01	01	01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
	Peon	Rs. 10000.00	00	14	14	03 क्षेत्रीय नवसृजित कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ एवं हल्द्वानी (रा0मा0) हेतु एवं 03 नवसृजित खण्डों हेतु एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु इस प्रकार 07 कार्यालयों हेतु 02–02 पद सृजित।
	Watchman	Rs. 10000.00	00	14	14	03 क्षेत्रीय नवसृजित कार्यालय टिहरी, पिथौरागढ एवं हल्द्वानी (रा0मा0) हेतु एवं 03 नवसृजित खण्डों हेतु एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु इस प्रकार 07 कार्यालयों हेतु 02–02 पद सृजित।
	Computer Operater	Rs. 12000.00	00	07	07	03 क्षेत्रीय नवसृजित कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ एवं हल्द्वानी (रा0मा0) हेतु एवं 03 नवसृजित खण्डों हेतु एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु इस प्रकार 07 कार्यालयों हेतु 01–01 पद सृजित।

5. इस प्रकार शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश संख्या–2831 / III(1) / 13–70(अधि0) / 05, दिनांक 26.12.13, शासनादेश संख्या–1642 / III(1) / 13–01(05) / 2013, दिनांक 09.09.2013 शासनादेश संख्या–759 / III(1) / 12–70(अधि0) / 05, दिनांक 09.08.12, एवं शासनादेश संख्या–228 / III(1) / 10–70(अधि0) / 05, दिनांक 31.05.10 में सृजित पदों में उक्तानुसार परिवर्तन एवं उक्तानुसार अतिरिक्त पद

सृजन किये जा रहे हैं। प्रश्नगत शासनादेशों में सृजित अन्य पद, जो इस शासनादेश में उल्लिखित नहीं हैं पूर्व की भांति उधावत रहेंगे।

6. निःसवर्गीय पदों के सापेक्ष नियमित सीधी भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–188(A)/XXVII(2)/15, दिनांक 11, दिसम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्याः– 1814/III(1)/15–190(PWD)/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1, एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2/7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्याः- 1013 / III(1) / 15-190(PWD) / 2001

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय- लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे में संवर्गीय पदों का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1399 / III(1) / 15-190(पीडब्ल्यूडी) / 01, दिनांक 23.09.2015, शासनादेश सं0-245 / III(1) / 15-190(पीडब्ल्यूडी) / 01, दिनांक 28.02.2015, शासनादेश सं0-2795 / III(1) / 13-190(पीडब्ल्यूडी) / 01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश सं0-2054 / III(1) / 06-190(पीडब्ल्यूडी) / 01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं0-1253 / III(1) / 06-190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या-1768 / III(1) / 11-190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 12.12.11 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढ़ांचे का पुनर्गठन किया गया था।

2. कालान्तर में विभागीय कार्यों में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत विभाग द्वारा पत्र संख्या-568 / 03व्यक-सा0 / 14, दिनांक 24.03.2015 के माध्यम से संरचनात्मक ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर सम्यक परीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट हुये हैं:-

(1) वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत विभिन्न वाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य प्रचलित हैं। वर्तमान में सिविल कार्यों, पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यो, ए0डी0बी0 के कार्यों एवं नाबार्ड के कार्यो हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का सृजन किया गया है। वर्ल्ड बैंक, ए0डी0बी0 आपदा के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय पद सृजित हैं।

(2) इसी प्रकार पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी एवं गैर तकनीकी के निःसंवर्गीय एवं संवर्गीय दोनो प्रकार से पद सृजित हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 की योजना ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने के कारण इस संवर्ग के अन्तर्गत सृजित 152 संवर्गीय पदों एवं 76 सृजित निःसंवर्गीय पदों कुल 228 पदों को निःसंवर्गीय पदों में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) चूंकि उपरोक्तानुसार विभिन्न योजनाओं के कार्यों हेतु अलग-अलग स्तर पर विभिन्न अधिकारी इन योजनाओं के निर्माण कार्यों का सम्पादन करा रहे हैं, अतः इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि फील्ड स्तर पर सभी वाह्य सहायतित कार्यक्रमों का एकीकरण किया जायेगा, ताकि प्रचलित निर्माण कार्यों का परीक्षण, अनुश्रवण सुचारू रूप से सम्पादित हो सके।

- MRSrem

3. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 12.12.2011, 26.12.2013, 19.05.2014, 30.06.2014, 28.02.2015 एवं 23.09.2015 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष निम्नांकित संवर्गीय पदों के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ--4 के सापेक्ष स्तम्भ--5 के अनुसार संवर्गीय पदों की प्रचलित वेतनमान में पुनरीक्षित सृजन/अतिरिक्त पद सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

<u>नवीन पुनर्गठन के अन्तर्गत सृजित पद एवं दायित्वः--</u>

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान (₹ में)	पूर्व में सृजित पदों की संख्या (PMGSY) को घटाकर	नवीन सृजित पदों की संख्या		अभ्युक्ति
				संवर्गीय	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	15600--39100 ग्रेड पे0 रू 7600	18	03	21	विभागाध्यक्ष कार्यालय मे ब्रिज सैल हेतु 01 पद, 02 ए0डी0बी0, यू0एस0आर0आई0पी0 के निःसंवर्गीय से संवर्गीय हेतु सृजित।
2.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	15600--39100 ग्रेड पे0 रू 6600	90	03	93	03 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु (01 पद स्लोप स्टबलाईजेशन 02 क्वालिटी ऑडिट हेतु सृजित)।
3.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600--39100 ग्रेड पे0 रू 5400	353	12	365	10 पद पर्वतीय जिलों के खण्ड, अस्कोट, डीडीहाट, कपकोट, थराली, गोपेश्वर एवं 02 पद मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यों हेतु सृजित।
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9300--34800 ग्रेड पे. रू 4600	877	11	888	10 पर्वतीय जिलों के खण्ड, अस्कोट, डीडीहाट कपकोट, थराली, गोपेश्वर एवं 01 पद मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के कार्यों हेतु सृजित।
5	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	9300--34800 ग्रेड पे रू0 4600	100	12	112	01 पद पूर्व सृजित खण्ड, पावौ हेतु, 02 पद पूर्व सृजित रा0मा0 खण्ड श्रीनगर एवं रूद्रप्रयाग, 01 पद ए0डी0बी0 खण्ड, दुगड्डा, 03 पद पूर्व सृजित सिविल वृत्त, चम्पावत, बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग, 02 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 वृत्त टिहरी एवं पिथौरागढ हेतु 02 पूर्व सृजित रा0मा0 वृत्त हेतु 01 पद क्षेत्रीय कार्यालय रा0मा0 देहरादून हेतु। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड एवं वृत्तों हेतु पूर्व से सृजित 07 पदों को अन्य सिविल/रा0मा0/वृत्तों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की कमी के दृष्टिगत पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्थान पर उक्त कार्यालयों हेतु यथावत रखा जा रहा है।
6.	मानचित्रकार	9300--34800 ग्रेड पे. रू0 4200	88	19	107	05 पूर्व सृजित खण्ड, पावौ, गौरसैंण, गुप्तकाशी, रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर, रा0मा0 खण्ड, रूद्रप्रयाग, 01 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 खण्ड, दुगड्डा, 03 पूर्व सृजित सिविल वृत्त, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, 04 पूर्व सृजित जोन, देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ, टिहरी, 02 पूर्व सृजित रा0मा0 वृत्त, देहरादून एवं हल्द्वानी, 02 पूर्व सृजित ए0डी0बी0 वृत्त, टिहरी एवं पिथौरागढ, 02 पूर्व रा0मा0 जोन देहरादून एवं हल्द्वानी हेतु सृजित। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड एवं वृत्तों हेतु पूर्व से सृजित 07 पदों को अन्य सिविल/रा0मा0/वृत्तों में

						मानचित्रकार की कमी के दृष्टिगत पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्थान पर उक्त कार्यालयों हेतु यथावत रखा जा रहा है।
7.	सहायक भू–वैज्ञानिक	15600–39100 ग्रेड पे0 रू0 5400	04	02	06	02 नवसृजित जोन पिथौरागढ एवं टिहरी हेतु सृजित।
8.	विधि सहायक	9300–34800 ग्रेड पे. रू0 4200	05	03	08	03 नवसृजित जोन टिहरी, पिथौरागढ एवं देहरादून हेतु सृजित।
9.	सहायक शोध अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे0 रू0 5400	00	02	02	पूर्व सृजित 02 निःसवर्गीय/आऊट सोर्सिंग के पदों को संवर्गीय में सृजित किया गया है। क्योंकि कनिष्ठ सहायक, रसायनज्ञ का पद संवर्गीय है तथा इनकी पदोन्नति का पद सहायक शोध अधिकारी है।
10.	अमीन	5200–20200 ग्रेड पे. रू0 2000	122	23	145	06 नवसृजित खण्ड, पाबौ, गौरसैंण, लक्सर, एवं रा0मा0 खण्ड, रूद्रप्रयाग, श्रीनगर एवं डोईवाला प्रत्येक खण्ड हेतु 02–02 पद एवं 11 ए0डी0बी0 खण्डों हेतु 01–01 पद सृजित।
			मुख्य अभियन्ता संवर्ग			
	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे. रू0 4600	26	03	29	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01–01 पद सृजित।
	प्रधान सहायक	9300–34800 ग्रेड पे. रू0 4200	27	03	30	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01–01 पद सृजित।
	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू0 2800	45	03	48	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01–01 पद सृजित।
	कनिष्ठ सहायक/	5200–20200 ग्रेड पे. रू0 2000	49	06	55	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 02–02 पद सृजित।
	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे. रू0 4600	05	03	08	नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी, पिथौरागढ एवं मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी हेतु 01–01 पद सृजित।
			खण्डीय संवर्ग			
	खण्डीय लेखाकर	9300–34800 ग्रेड पे. रू0 4200	54	27	81	वर्ष 2001 के बाद सृजित 08 सिविल खण्ड, 06 रा0मा0 खण्ड, 02 विद्युत/यांत्रिक खण्ड एवं 11 ए0डी0बी0 खण्डों इस प्रकार कुल 27 खण्डों हेतु 01–01 पद सृजित।
	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड पे. रू0 2800	41	05	46	05 नवसृजित खण्ड, लक्सर, डोईवाला, पोखरी, पाबौ एवं गौरसैण हेतु 01–01 पद सृजित।

4. इस प्रकार शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश सं0–1399/III(1)/15–190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 23.09.2015, शासनादेश सं0–245/III(1)/15–190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 28.02.2015, शासनादेश सं0–2795/III(1)/13–190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश सं0–2054/

III(1)/06–190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं0–1253/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या–1768/III(1)/11–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 12.12.11 में सृजित पदों में उक्तानुसार परिवर्तन एवं उक्तानुसार अतिरिक्त पद सृजन किये जा रहे हैं। प्रश्नगत शासनादेशों में सृजित अन्य पद, जो इस शासनादेश में उल्लिखित नहीं हैं, पूर्व की भांति यथावत् रहेंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–2059, लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 निदेशन तथा 051 निर्माण–03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–188/XXVII(2)/15, दिनांक 11, दिसम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्याः– 1813/III(1)/15–190(PWD)/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1, एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2/7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन सं0 – 1813/03 व्यक्ति – सा0/15 दिनांक – 18.12.2015

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता (को0आ0)/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, देहरादून/टिहरी/हल्द्वानी/पिथौरागढ़/अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रति अपने अधीनस्थ इन्जी0/एडों को प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

(2) प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन रे0/ग/भ0/कार्यप्रभारित वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।

(3) गार्ड पत्रावली।

अधिशासी अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

Rajwar GO Letter

संख्याः– 1347/ III(1)/15–190(PWD)/2001,टीसी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 23 सितम्बर, 2015

विषय– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थान डोईवाला (रा0मा0 खण्ड), लक्सर एवं पोखरी में नया सिविल खण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–2054/III(1)/06–190 (PWD)/01 दिनांक 11.07.01 शासनादेश–1253/III(1)/06–190(PWD)/01 दिनांक 12.07.06, शासनादेश संख्या–1768/III(1)/11–190(PWD)/01 दिनांक 12.12.11, शासनादेश संख्या–2795/III(1)/13–190(PWD)/01 दिनांक 26.12.13, शासनादेश संख्या–502/III(1) /14–190(PWD)/01टी0सी0 दिनांक 19.05.2014, शासनादेश संख्या–1288/III(1)/14–190(PWD)/01टी0सी0 दिनांक 30.06.2014 एवं शासनादेश संख्या–245/III(1)/14–190(PWD)/01टी0सी0 दिनांक 28.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया है। वर्तमान में कार्यो की वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड तथा जनपद हरिद्वार एवं जनपद चमोली में एक–एक नये सिविल खण्ड की आवश्यकता को देखते हुये स्थान डोईवाला में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, स्थान लक्सर एवं पोखरी में नया सिविल खण्ड सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून के **"स्थान डोईवाला में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड"**, **(संवर्गीय)** जनपद हरिद्वार के स्थान लक्सर में **"निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर" (संवर्गीय)** के नाम से नया सिविल खण्ड तथा जनपद चमोली के स्थान पोखरी में **"निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी" (संवर्गीय)** के नाम से नया सिविल खण्ड स्थापित करते हुये तालिका के स्तम्भ–5 में इंगित अस्थाई पद सहित प्रचलित वेतनमान में दिनांक 29.02.16 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जांये, को सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

113
1-9-15

सिविल खण्ड लक्सर के संचालन हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद–

क.स.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	01
02	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	04
03	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	13
04	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	01
05	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	01
06	प्रधान सहायक	रू0 3900–34800 ग्रेड पे रू0 4200	01
07	वरिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	02
08	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2000	02
		कुल योग	25

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड डोईवाला के संचालन हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद–

क.स.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	01
02	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	04
03	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	13
04	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	01
05	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	01
06	प्रधान सहायक	रू0 3900–34800 ग्रेड पे रू0 4200	01
07	वरिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	02
08	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2000	02
		कुल योग	25

सिविल खण्ड पोखरी के संचालन हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद–

क.स.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
01	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	01
02	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	02
03	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	06
04	कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	01
05	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	01
06	प्रधान सहायक	रू0 3900–34800 ग्रेड पे रू0 4200	01
07	वरिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	01
08	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2000	01
		कुल योग	14

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–416 / XXVII(2) / 15 दिनांक 19 सितम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः– 1399 / III(1) / 15–190(PWD) / 2001 टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग–7 / 2, एवं लो0नि0अनुभाग–2 / 3, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

P.T.O

2/3

(3)

संख्या–245 / III(1) / 13–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 2001

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 28 फरवरी, 2015

विषय– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ांचे में संवर्गीय पदों का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2795 / III(1) / 13–190(पीडब्ल्यूडी) / 01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश सं0–2054 / III(1) / 06–190(पीडब्ल्यूडी) / 01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं0–1253 / III(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या–1768 / III(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 12.12.11 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता द्वारा कार्यों में हुई वृद्धि के दृष्टिगत पत्र संख्या–1587 / 03व्यक–सा0 / 14, दिनांक 18.11.2014 के द्वारा ढांचे का संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। प्रमुख अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट हुयेः–

(i) फील्ड स्तर पर मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने अधीन क्षेत्रान्तर्गत किए जाने वाले पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के कार्य को अधिक से अधिक भ्रमण एवं समीक्षा के माध्यम से प्रभावी बनाये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर के पदों की संख्या में वृद्धि करने तथा उन्हें राज्य पोषित कार्यों के साथ–साथ विश्वबैंक एवं ए.डी.बी. वित्त पोषित आपदा पुनर्निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का भी दायित्व दिया जाना औचित्यपूर्ण है।

(ii) प्रदेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बन्धित कार्यों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बी.आर.ओ. अथवा एन.एच.ए.आई. के अधीन हैं, उनसे सम्बन्धित कार्यों के शीघ्र एवं गुणवत्ता पूर्ण निष्पादन की प्रक्रिया में भी राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग (लो.नि.वि.) की भूमिका निरन्तर बढ़ रही है। यहाँ तक कि बी.आर.ओ. एवं एन.एच.ए.आई. के अधीन कार्यों के सम्बन्ध में भी व्यापक राज्य हित में राज्य सरकार को अपने विभागीय संसाधनों से भी व्यय करना पड़ रहा है। इस दृष्टि से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत एकमात्र मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग के एकमात्र सृजित पद के स्थान पर 02 पद (एक पद गढ़वाल मण्डल के लिए एवं दूसरा कुमायूँ मण्डल के लिए) सृजित किए जाने का औचित्य है।

(iii) राज्य स्तर पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास की दृष्टि से अवस्थापना विकास आयुक्त की भूमिका निरन्तर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में, अवस्थापना विकास सुविधाओं की परिकल्पना, नियोजन एवं कियान्वयन में अवस्थापना विकास आयुक्त को परामर्श एवं सहयोग देने हेतु भी शासन स्तर पर मुख्य अभियन्ता स्तर का एक पद सृजित किए जाने का औचित्य है।

3. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं मे निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढाचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 12.12.2011 एव 26.12.2013 मे उल्लिखित पदो के सापेक्ष निम्नांकित सवर्गीय एवं निःसंवर्गीय पदों के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ–4 के अनुसार सवर्गीय पद एवं स्तम्भ–5 के अनुसार निःसंवर्गीय पदों की प्रचलित वेतनमान में पुनरीक्षित सृजन/अतिरिक्त पद सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

<u>नवीन पुनर्गठन के अन्तर्गत सृजित पद एवं दायित्वः–</u>

क. सं.	पद का नाम	वेतनमान (₹ में)	पूर्व में सृजित पदो की संख्या	प्रस्तावित पदों की संख्या			मुख्यालय एवं दायित्व
				संवर्गीय	निःसंवर्गीय	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रमुख अभियन्ता	67000–79000	01	–	–	01	देहरादून में विभागाध्यक्ष के रूप में सम्पूर्ण दायित्व
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	37400–67000 ग्रेड पे. 10000	02	01	–	03	1. **मुख्य अभियन्ता, ब्रिज सैल, क्वालिटी कंट्रोल, नियोजन एवं मुख्यालय** (विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रमुख अभियन्ता के सहयोग हेतु अभिकल्पन, नियोजन, बजट, व्यवस्थापन, परिवाद, गुणवत्ता नियत्रण आदि कार्यों के सम्पादन का दायित्व) 2. **मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक, ए.डी.बी. देहरादून** (राज्य अन्तर्गत ए.डी.बी.परियोजना/ए.डी.बी. (आपदा) के कार्यो हेतु परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के समस्त दायित्व) 3. **मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, देहरादून** (गढवाल मण्डल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों तथा 60 मी. स्पान से अधिक स्पान के सेतु निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता के दायित्व सहित राज्य अन्तर्गत एन.एच.,बी.आर.ओ. एवं एन.एच.ए आई. के संदर्भ में नोडल अधिकारी के दायित्व)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	37400–67000 ग्रेड पे 8900	05 सवर्गीय 01 निःसवर्गीय	02	01	09 (07 सवर्गीय 02 निःसवर्गीय)	1. सम्पूर्ण राज्य को छः क्षेत्रों में बाटते हुए राज्य पोषित कार्य, ए.डी.बी.परियोजना, ए.डी.बी.(आपदा) एवं विश्व बैंक (आपदा) के समस्त कार्यों का अनुश्रवण एवं नियोजन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के निम्नानुसार सवर्गीय पद/क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्तावित हैः– (1) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता देहरादून (देहरादून एवं हरिद्वार जनपद) (2) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पौडी (पौडी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली जनपद) (3) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, टिहरी (टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपद) (4) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, हल्द्वानी (उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपद) (5) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा (अल्मोड़ा एवं बागेश्वर जनपद) (6) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपद) 2 मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, हल्द्वानी (संवर्गीय) (कुमायूँ मण्डल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गो तथा 60 मी. स्पान से अधिक स्पान के सेतु निर्माण हेतु मुख्य अभियंता के दायित्व सहित कुमायूँ मण्डल में बी.आर.ओ. एवं एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं के सम्बन्ध में समन्वय/अनुश्रवण का दायित्व) 3. मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, देहरादून (निःसंवर्गीय) (राज्य अन्तर्गत विश्वबैंक पोषित समस्त योजनाओं के अनुश्रवण, नियोजन आदि हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का दायित्व) 4. सलाहकार, अवस्थापना सुविधाए,उत्तराखण्ड शासन (निःसंवर्गीय) (शासन स्तर पर अवस्थापना विकास सुविधाओं के परिकल्पन, विकास आदि विषयों पर अवस्थापना विकास आयुक्त को परामर्श एवं सहयोग का दायित्व)
		योग :	09	03	01	13	
4.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 ग्रेड पे. 6600	92	03	–	95	02 पद नवसृजित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय पिथौरागढ़ एवं टिहरी तथा 01 पद क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग, हल्द्वानी के लिए। इन कार्यालयों में अधिशासी अभियन्ता का दायित्व मुख्य अभियन्ता को प्राविधिक, गुणवत्ता एवं नियोजन आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करना होगा।
5.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600–39100 ग्रेड पे. 5400	353	22	–	375	06 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में प्रत्येक कार्यालय हेतु 03 पद एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के 02 कार्यालयों हेतु प्रत्येक में 02 पद। (क्षेत्रीय कार्यालयों में 01 सहायक अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण, 01 प्राविधिक कार्य एवं 01 वाह्य सहायतित परियोजनाओं के नियोजन एवं अनुश्रवण के कार्यों में सहयोग हेतु)। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 01 सहायक अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एवं 01 सहायक अभियन्ता प्राविधिक कार्यों हेतु प्रस्तावित।
6.	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	9300–34800 ग्रेड पे. 4600	92	03	–	95	पिथौरागढ़ एवं टिहरी के नये क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में 02 पद एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, हल्द्वानी के नये क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 01 पद प्रस्तावित।
		कुल योगः	546	31	01	578	

4. उपरोक्त तालिका में दिए गए विवरणानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता स्तर–1 तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के कार्यालयों के पुनर्गठन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–1 का 01 पद, मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के 02 पद, अधिशासी अभियन्ता के 03 पद, सहायक अभियन्ता के 22 पद एवं कनिष्ठ अभियन्ता के 03 पद, इस प्रकार कुल 31 नवीन संवर्गीय पदो एव 01 निःसंवर्गीय पद का सृजन किया गया है।

5. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश सं0–2795/III(1)/13–190(पीडब्ल्यूडी)/01, दिनांक 26.12.2013, शासनादेश संख्या–2054/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश सख्या–1253/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 12.07.06 एव शासनादेश संख्या–1768/III(1)/11–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दि0 12.12.11 में सृजित पदों के अतिरिक्त उक्तानुसार पद सृजन किये जा रहे हैं।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–2059, लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 निदेशन तथा 051 निर्माण–03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–211/XXVII(7)/15, दिनांक 28 फरवरी, 2015 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्याः–245 / III(1)/15–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1, एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः 1182 / III(1) / 14–190(पीडब्ल्यूडी) / 01, टीसी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 09 जुलाई, 2014

विषयः– नये राष्ट्रीय राजमार्गों के सापेक्ष नये खण्डों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–774 / 05व्यक–सा0 / 14, दि0 27.05.14 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सृजित राष्ट्रीय राजमार्गों के मुख्यालय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त पत्र दिनांक 27.05.14 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में सृजित राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्तर्गत मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग चम्बा खण्ड को रूद्रप्रयाग में स्थानान्तरित करते हुये शेष राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड के मुख्यालय यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः 1182 / III(1) / 14–190(पीडब्ल्यूडी) / 01, टीसी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी / सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखण्ड।
5. लोक निर्माण अनुभाग–2 / 3,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्याः–1288/ III(1)/14–190(पीडब्ल्यूडी)/2001,टीसी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 30 जून, 2014

विषय– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थान गैरसैण एवं गुप्तकाशी में नया सिविल खण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–2054/III(1)/06–190 (पीडब्ल्यूडी)/01 दिनांक 11.07.01 शासनादेश–1253/III(1)/06–190(पीडब्ल्यूडी)/01 दिनांक 12.07.06, शासनादेश संख्या–1768/III(1)/11–190(पीडब्ल्यूडी)/01 दिनांक 12.12.11, शासनादेश संख्या–2795/III(1)/13–190(पीडब्ल्यूडी)/01 दिनांक 26.12.13 एवं शासनादेश संख्या–502/III(1)/14–190(पीडब्ल्यूडी)/01टी0सी0 दिनांक 19.05.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संरचानात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया है। वर्तमान में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कार्यो की वृद्धि को देखते हुए प्रमुख अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या–866/05व्यक–सा0/14, दिनांक 19.06.2014 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थान गुप्तकाशी में नया सिविल खण्ड सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के स्थान गुप्तकाशी में **"निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी"** के नाम से नया सिविल खण्ड तथा जनपद चमोली के स्थान गैरसैण में **"निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गैरसैण"** के नाम से नया सिविल खण्ड स्थापित करते हुये तालिका के स्तम्भ–5 में इंगित अस्थाई पद सहित प्रचलित वेतनमान में दिनांक 28.02.15 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जांये, को सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी एवं गैरसैण" के नये कार्यालय हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का विवरण (संवर्गीय)

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	उक्त खण्ड हेतु सृजित पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	02	प्रति खण्ड 01 पद

Rajwar

2.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	06	प्रति खण्ड 03 पद
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	12	प्रति खण्ड 06 पद
4	कनिष्ठ अभियन्ता(प्राविधिक)	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	02	प्रति खण्ड 01 पद
4.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	02	प्रति खण्ड 01 पद
5.	प्रधान सहायक	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	04	प्रति खण्ड 02 पद
6.	वरिष्ठ सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	04	प्रति खण्ड 02 पद
7.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर	वेतनमान रू0 5200--20200 ग्रेड पे रू0 2000	04	प्रति खण्ड 02 पद
		कुल योग–	36	

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–192/XXVII(2)/14 दिनांक 27 जून, 2014 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः– /III(1)/14–190(पीडब्ल्यूडी)/2001 टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

संख्या:-502/III(1)/14-190(पीडब्ल्यूडी)/2001,टीसी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 19 मई, 2014

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान पाबौं में लोक निर्माण विभाग का नया खण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-423/03व्यक-सा0/14, दिनांक 21.02.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान पाबौं में लोक निर्माण विभाग का नया खण्ड सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान पाबौं में "निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पाबौं" के नाम से नया खण्ड स्थापित करते हुये निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 एवं स्तम्भ-3 में उल्लिखित पदनाम/वेतनमान के स्तम्भ-4 में इंगित अस्थाई पद सहित प्रचलित वेतनमान में दिनांक 28.02.15 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, को सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

"निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पाबौं" के नये कार्यालय हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का विवरण (संवर्गीय)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6600	01
2.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 5400	03
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4600	06
4.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4600	01

Rajwar

5.	प्रधान सहायक	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	02
6.	वरिष्ठ सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	02
7.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2000	02

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–64/XXVII(2)/14 दिनांक 12, मई, 2014 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः– /III(1)/14–190(पीडब्ल्यूडी)/2001 टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

क्रमांक - 60

संख्याः– 2795 / III(1) / 13–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 2001

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

विषय– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में संवर्गीय पदों का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2054 / III(1) / 06–190(पीडब्ल्यूडी) / 01, दिनांक 11.07.01, शासनादेश सं0–1253 / III(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या–1768 / III(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 12.12.11 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–1457 / 03व्यंक–सा0 / 13, दिनांक 30.09.13 के द्वारा संवर्गीय, पी0एम0जी0एस0वाई0, ए0डी0बी0 तथा वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त वृत्त / खण्ड / पदों की पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3. अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव के विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 12.12.11 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त संवर्गीय एवं निःसंवर्गीय पदों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से अतिरिक्त पद / खण्ड / वृत्त / क्षेत्रीय कार्यालय में तालिका के स्तम्भ–5 में इंगित अस्थाई पद, प्रचलित वेतनमान में दिनांक 28.02.14 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जांये, को सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क)– लोक निर्माण विभाग (सिविल) के नये कार्यालयों हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का विवरण (संवर्गीय)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्मतान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त पद संख्या	पुर्नगठन के उपरान्त कुल पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 8900	04	01	05	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु।

Rajwa

2.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600	17	03	20	जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत हेतु
3.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	85	04	89	02 रा0मा0 खण्डों हेतु एवं 02 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के सृजित नये कार्यालयों हेतु स्टाफ आफिसर।
4.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	333	11	344	02 खण्डों हेतु 08 एवं 03 वृत्तीय कार्यालयों हेतु 01–01 सहायक अभियन्ता।
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	899	24	923 शासनादेश के अनुसार उपरोक्त पदों में 85% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।	12 कनि0 अभि0 प्रति रा0मा0 खण्ड हेतु 2X12=24
6.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	—	07	—	मु0अ0 स्तर–I (देहरादून)–01 मु0अ0 स्तर– I (हल्द्वानी)–01 3 वृ0का0–03 2 रा0मा0खण्ड–02
7.	प्रधान सहायक	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	—	07	—	मु0अ0 स्तर– I (देहरादून)–01 मु0अ0 स्तर– I (हल्द्वानी)–01 3 वृ0 का0–03 2 रा0मा0खण्ड–02
8.	वरिष्ठ सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	—	07	—	मु0अ0 स्तर– I (देहरादून)–01 मु0अ0 स्तर– I (हल्द्वानी)–01 3 वृ0 का0–03 2 रा0मा0खण्ड–02
9.	कनिष्ठ सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2000	—	14	—	मु0अ0 स्तर– I (देहरादून)–02 मु0अ0 स्तर– I (हल्द्वानी)–02 3 वृ0 का0–06 2 रा0मा0खण्ड–04

Rajwar

10.	वैयक्तिक सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	–	07	–	मु0अ0 स्तर– I (देहरादून)–01 मु0अ0 स्तर– I (हल्द्वानी)–01 3 वृ0 का0–03 2 रा0मा0खण्ड–02
11.	चौकीदार (आउट सोर्सिंग)	रू0 10000/–	–	07	–	मु0अ0 स्तर– I (देहरादून)–01 मु0अ0 स्तर– I (हल्द्वानी)–01 3 वृ0 का0–03 2 रा0मा0खण्ड–02
12.	अनुसेवक/ (Multipurpose worker) (आउट सोर्सिंग)	रू0 10000/–	–	14	–	मु0अ0 स्तर– I (देहरादून)–02 मु0अ0 स्तर– I (हल्द्वानी)–02 3 वृ0 का0–06 2 रा0मा0खण्ड–04

(1) **मुख्य अभियन्ता स्तर–1–** विभागीय कार्यों के समुचित अनुश्रवण, तकनीकी नियंत्रण एवं कार्यों में गति प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ 02 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं, जिनके मुख्यालय पौडी एवं अल्मोडा के अतिरिक्त देहरादून एवं हल्द्वानी में भी स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी एवं देहरादून में कार्यो की अधिकता को देखते हुये इन क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्व से विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी एवं देहरादून में तैनात किया जायेगा।

(2) **अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)–** प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिगत पूर्व से जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत् में वृत्तीय कार्यालय स्थापित नहीं हैं, इन जनपदों हेतु उक्त 03 अधीक्षण अभियन्ता के पद सृजित किये गये हैं। आपदा के दृष्टिगत जनपद रूद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में अस्थाई रूप से सृजित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद को उक्त सृजित होने वाले पदों में समायोजित किया जायेगा।

(3) **अधिशासी अभियन्ता (सिविल)–** लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बी0आर0ओ0 के नियंत्रणाधीन कतिपय मार्गो का राज्य के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गो में समायोजन/हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत सिडकुल यूनिट, पन्तनगर (निःसंवर्गीय खण्ड) को समाप्त करते हुये रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर एवं रा0मा0 खण्ड, चम्बा के रूप में नये खण्ड स्थापित किये गये हैं।

4. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश संख्या–2054/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या–1253/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 12.07.06 एवं शासनादेश संख्या–1768/III(1)/11–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दि0 12.12.11 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–2059, लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 निदेशन तथा 051 निर्माण–03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–1187/XXVII(7)/13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्याः– 2795 / III(1)/13–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन 2204/03 व्यय/सा/13 दि 28.12.2013

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी
(2) मुख्य अभियन्ता स्तर-II बदायूं/कुमायूं/रा0मा0/एडी.बी./जी.ए.जी/एल.वाई/नई बैंक/मुख्यालय लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून।
(3) समस्त अधीक्षण अभियन्ता सिविल/रा0मा0/P.M.G.S.Y./एडी.बी./वर्ल्ड बैंक लोक निर्माण विभाग।
(4) वित्त नियंत्रक विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
(5) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन क/ख/ग/घ/कर्मचारी विभागाध्यक्ष कार्यालय।
(6) नगर वा/प्रावि0वा0 विभागाध्यक्ष कार्यालय।
(7) वैयक्तिक अधिकारी I/II विभागाध्यक्ष कार्यालय।
(8) गार्ड फाईल।

संख्याः– 2831 / III(1) / 13–70(अधि0) / 05

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

विषय– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में निःसंवर्गीय पदों का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–759 / III(1) / 12–70(अधि0) / 05, दिनांक 09.08.12, एवं शासनादेश संख्या–228 / III(1) / 10–70(अधि0) / 05, दिनांक 31.05.10 के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के निर्माण कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के निःसंवर्गीय पद सृजित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–1457 / 03व्यक–सा0 / 13, दिनांक 30.09.13 के द्वारा संवर्गीय, पी0एम0जी0एस0वाई0, ए0डी0बी0 तथा वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त वृत्त / खण्ड / पदों की पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3. अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव के विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण हेतु एवं अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन करते हुये पूर्व शासनादेश दिनांक 09.08.12 एवं शासनादेश दिनांक 31.05.10 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त निःसंवर्गीय पदों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से अतिरिक्त पद / खण्ड / वृत्त / क्षेत्रीय कार्यालय में तालिका के स्तम्भ–5 में इंगित अस्थाई पद, प्रचलित

वेतनमान में दिनांक 28.02.14 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जांये, को सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

लोक निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) के नये कार्यालयों हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का विवरण (निःसंवर्गीय)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्मतान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त पद संख्या	पुर्नगठन के उपरान्त कुल पद	टिप्पणी
1.	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 8900	01	01	02	कुमायूं मण्डल अल्मोड़ा हेतु
2.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600	02	02	04	गोपेश्वर एवं पिथौरागढ़ हेतु।
3.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	—	04	04	04 (द्वाराहाट, त्यूनी, कर्णप्रयाग एवं कीर्तिनगर) नये खण्डों हेतु
4.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	—	20	20	खण्डों हेतु 16, वृत्तीय कार्यालयों हेतु 02 एवं क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 02
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	—	48	48	04 नये खण्डों हेतु, 12 प्रति खण्ड
6.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600	—	07	07	मु0अ0 स्तर–II (अल्मोड़ा)–01 2 वृ0 का0–02 4 नये खण्ड हेतु–4
7.	प्रधान सहायक	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	—	07	07	मु0अ0 स्तर–II (अल्मोड़ा)–01 2 वृ0 का0–02 4 नये खण्ड हेतु–4
8.	वरिष्ठ सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	—	07	07	मु0अ0 स्तर–II (अल्मोड़ा)–01 2 वृ0 का0–02 4 नये खण्ड हेतु–4
9.	कनिष्ठ सहायक/ कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर आऊट सोर्सिंग	रू0 12000/–	—	14	14	मु0अ0 स्तर–II (अल्मोड़ा)–02 2 वृ0 का0–04 4 नये खण्ड हेतु–8

10.	वैयक्तिक सहायक आऊट सोर्सिंग	रू0 16000/–	–	07	07	मु0अ0 स्तर–II (अल्मोड़ा)–01 2 वृ0 का0–02 4 नये खण्ड हेतु–4
11.	चौकीदार (आउट सोर्सिंग)	रू0 10000/–	–	07	07	मु0अ0 स्तर–II (अल्मोड़ा)–01 2 वृ0 का0–02 4 नये खण्ड हेतु–4
12.	अनुसेवक/ (Multipurpose worker) (आउट सोर्सिंग)	रू0 10000/–	–	14	14	मु0अ0 स्तर–II (अल्मोड़ा)–02 2 वृ0 का0–04 4 नये खण्ड हेतु–8

(1) **मुख्य अभियन्ता स्तर–2–** पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों हेतु 01 मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (निःसंवर्गीय) पूर्व से सृजित है। कार्य की अधिकता एवं सुचारू सम्पादन हेतु 01 अतिरिक्त पद मुख्य अभियन्ता स्तर–2, कुमांऊ मण्डल, अल्मोडा (निःसंवर्गीय) हेतु सृजित किया गया है।

(2) **अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)–** पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण, कार्यों की गुणवत्ता के दृष्टिगत पूर्व से सृजित 04 वृत्तीय कार्यालयों (02 संवर्गीय एवं 02 निःसंवर्गीय) के अतिरिक्त 02 वृत्तीय कार्यालय/पद (निःसंवर्गीय) सृजित किये गये हैं, जिनका मुख्यालय गोपेश्वर एवं पिथौरागढ़ में स्थापित किया जायेगा।

(3) **अधिशासी अभियन्ता (सिविल)–** लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों हेतु 04 निःसंवर्गीय खण्ड सृजित किये गये हैं, जिनके मुख्यालय कार्यभार अधिकता के दृष्टिगत द्वारहाट, कीर्तिनगर, कर्णप्रयाग एवं त्यूनी में स्थापित किया जायेगा।

लोक निर्माण विभाग (ए0डी0बी0) के नये कार्यालयों हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का विवरण (निःसंवर्गीय)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्मतान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त पद संख्या	कुल संशोधित प्रस्तावित पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600	02	03	05	01 पी0एम0यू0 कार्यालय हेतु, 02 नये वृत्त (अल्मोडा, श्रीनगर) हेतु
2.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	–	11	11	02 पी0एम0यू0 कार्यालय हेतु एवं 09 नये खण्डों हेतु
3.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	–	13	13	01 पी0एम0यू0, 02 वृत्तीय एवं 10 खण्डों हेतु

4.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	–	10	10	01 पूर्व से स्वीकृत निःसंवर्गीय खण्ड दुगड्डा हेतु एवं 09 नये निःसवर्गीय खण्डों हेतु
5.	प्रधान सहायक	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	–	03	03	2 वृ0 का0–02 पी0एम0यू0–01
6.	वरिष्ठ सहायक प्रतिनियुक्ति या विभागीय	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	–	09	09	9 खण्डीय कार्यालय–09
7.	कनिष्ठ सहायक आऊट सोर्सिंग	रू0 12000/–	–	22	22	2 वृ0 का0–04 9 खण्डीय का0–18
8.	वैयक्तिक सहायक आऊट सोर्सिंग	रू0 16000/–	–	03	03	2 वृ0 का0–02 पी0एम0यू0–01
9.	कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर आऊट सोर्सिंग	रू0 12000/–		13	13	2 वृ0 का0–04 9 खण्डीय का0–09
10.	अनुसेवक/ (Multipurpose worker) (आउट सोर्सिंग)	रू0 10000/–	–	24	24	2 वृ0 का0–06 9 खण्डीय का0–18

(1) **अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)**– ए0डी0बी0 के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों/सेतुओं की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु ए0डी0बी0 के ऋण से कार्यों के शीघ्र सम्पादन हेतु 02 नये ए0डी0बी0 वृत्त (निःसंवर्गीय) सृजित किये गये हैं, जिनका मुख्यालय श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में स्थापित किया जायेगा।

(2) **अधिशासी अभियन्ता (सिविल)**– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ए0डी0बी0 के कार्यों हेतु 09 निःसंवर्गीय खण्ड/पद सृजित किये गये हैं, जिनके मुख्यालय बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोडा, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी एवं पौड़ी में स्थापित किया जायेगा।

लोक निर्माण विभाग (वर्ल्ड बैंक) के नये कार्यालयों हेतु तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों का विवरण (निःसंवर्गीय)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्मतान में स्वीकृत पद संख्या	पुर्नगठन के फलस्वरूप अतिरिक्त पद संख्या	कुल संशोधित प्रस्तावित पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 8900	–	1	1	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 वर्ल्ड बैंक देहरादून
2.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600	–	4	4	01 पी0एम0यू0 वर्ल्ड बैंक एवं 03 वर्ल्ड बैंक वृत्तीय कार्यालय

3.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600	—	13	13	02 पी0एम0यू0 कार्यालय हेतु एवं 11 नये खण्डों हेतु
4.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400	—	15	15	01 पी0एम0यू0, 03 वृत्तीय कार्यालय एवं 11 नये खण्डों हेतु
5.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	—	11	11	11 खण्डों हेतु 01 प्रति खण्ड
6.	वरिष्ठ सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800	—	16	16	मु0अ0 स्तर–II (देहरादून)–01 3 वृ0 का0–03 1 पी0एम0यू0 कार्यालय–01 11 खण्डीय का–11
7.	कनिष्ठ सहायक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2000	—	16	16	मु0अ0 स्तर–II (देहरादून)–01 3 वृ0 का0–03 1 पी0एम0यू0 कार्यालय–01 11 खण्डीय का–11
8.	वैयक्तिक सहायक आऊट सोर्सिंग	रू0 16000/–	—	04	04	मु0अ0 स्तर–II (देहरादून)–01 3 वृ0 का0–03 1 पी0एम0यू0 कार्यालय–01
9.	कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर आऊट सोर्सिंग	रू0 12000/–	—	18	18	मु0अ0 स्तर–II (देहरादून)–02 3 वृ0 का0–03 1 पी0एम0यू0 कार्यालय–02 11 खण्डीय का–11
10.	अनुसेवक/ (Multipurpose worker) (आउट सोर्सिंग)	रू0 10000/–	—	32	32	मु0अ0 स्तर–II (देहरादून)–02 3 वृ0 का0–06 1 पी0एम0यू0 कार्यालय–02 11 खण्डीय का–22

(1) **मुख्य अभियन्ता स्तर–2–** दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों एवं सेतुओं की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य के सुचारू सम्पादन हेतु 01 मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (निःसंवर्गीय) का पद सृजित किया गया है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया जायेगा।

(2) **अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)**– लोक निर्माण विभाग, वर्ल्ड बैंक योजना के अन्तर्गत 01 पी0एम0यू0 का कार्यालय, देहरादून में स्थापित किया जायेगा तथा इस कार्यालय हेतु 01 अधीक्षण अभियन्ता (निःसंवर्गीय) का पद सृजित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त फील्ड कार्यों के संचालन हेतु 03 वर्ल्ड बैंक वृत्त (निःसंवर्गीय) सृजित किये गये हैं, जिनके मुख्यालय रूद्रप्रयाग, टिहरी एवं पिथौरागढ़ में स्थापित किया जायेगा।

(3) **अधिशासी अभियन्ता (सिविल)**– लोक निर्माण विभाग, वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत पी0एम0यू0 कार्यालय हेतु 02 अधिशासी अभियन्ता के निःसंवर्गीय पद तथा फील्ड कार्यों के संचालन हेतु 11 वर्ल्ड बैंक खण्ड (निःसंवर्गीय) सृजित किये गये हैं, जिनके मुख्यालय गुप्तकाशी, गोपेश्वर, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी, चकराता, मुनस्यारी, चम्पावत्, बागेश्वर एवं अस्कोट में स्थापित किया जायेगा।

4. उक्त पदों का सृजन एवं इन पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होंगीः–

(1) निःसंवर्गीय पद सभी प्रोजेक्ट मोड में सृजित किये गये हैं।

(2) सभी निःसंवर्गीय पद को–टर्मिनस होंगे अर्थात प्रोजेक्ट की समयावधि एवं निःसंवर्गीय पदों की वैधता की समयावधि एक ही होगी।

(3) निःसंवर्गीय पदों पर पृथक से कोई प्रोन्नति नीति नहीं होगी अर्थात निःसंवर्गीय पदों पर कोई नियमित पदोन्नति नहीं होगी।

(4) लिपिकीय वर्ग/सैकेट्रीयल पदों की प्रकृति आउटसोर्स होंगी, चाहे वो पद विभागों से डेपुटेशन के माध्यम से ही क्यों न भरे जाएं।

5. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश संख्या–759/III(1)/12–70(अधि0)/05, दिनांक 09.08.12, एवं शासनादेश संख्या–228/III(1)/10–70(अधि0)/05, दिनांक 31.05.10 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–1196/XXVII(7)/13 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्याः–2831/III(1)/13–70(अधि0)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2 / 3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन सं 2205/C3 व्यय.सी./13 दि 24.12.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

(1) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मु./नि.) प्रमुख अभि. कार्यालय लो. नि. वि. देहरादून / हल्द्वानी.
(2) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमायूं / रा० मा० / एडी.बी. / पी.एम.जी.एस.वाई. / वर्ल्ड बैंक लोक निर्माण विभाग पौड़ी / अल्मोड़ा / देहरादून.
(3) समस्त अधीक्षण अभियन्ता सिविल कृत / रा०मा. / P.M.G.S / ए.डी.बी. / वर्ल्ड बैंक लोक निर्माण विभाग.
(4) वित्त नियंत्रक विभागाध्यक्ष कार्यालय लो. नि. वि.
(5) समस्त प्रशासनिक अधिकारी व्यय स्थापन क / ख / ग / घ वर्कचार्ज वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो. नि. वि. देहरादून.
(6) वैधानिक अधिकारी I / II विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून.
(7) प्राविधिक वर्ग. / बजट वर्ग. विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून
(8) गार्ड पत्रावली.

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण खण्ड
देहरादून

संख्या 759 /III(1)/12–70(अधि0)/05

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 09 अगस्त, 2012

विषय– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं अधीक्षण अभियन्ता/वृत्तीय कार्यालय के लिए अस्थाई निःसंवर्गीय पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1253/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक 12.07.06, शासनादेश संख्या–1053/III(1)/07–70(अधि0)/05, दिनांक 19.07.07 एवं शासनादेश संख्या–1768/III(1)/11–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, दिनांक 12.12.11 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया है।

वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0 की योजनाओं से सम्बन्धित कार्य गतिमान हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण एवं त्वरित गति से सम्पादित किये जाने के लिए मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (पी0एम0जी0एस0वाई0) का 01 निःसंवर्गीय पद वेतन बैंड–4 रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 8900 तथा वृत्त/अधीक्षण अभियन्ता के 02 निसंवर्गीय पद वेतन बैंड–3, रू0 15600–39100, ग्रेड–पे रू0 7600 में शासनादेश निर्गत करने की तिथि से दिनांक 28.02.2013 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों की परियोजना अवधि तक ही रहेंगे और दिनांक 28 फरवरी के बाद पदों की उपादेयता स्पष्ट कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर निरन्तरता निर्गत की जायेगी।

3. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

4. सृजित मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का मुख्यालय देहरादून में स्थापित होगा तथा अधीक्षण अभियन्ता/वृत्त कार्यालय का मुख्यालय निम्न प्रकार से होंगे:–

1. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (निःसंवर्गीय) मसूरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (निःसंवर्गीय) अल्मोडा।

5. उक्तानुसार 02 नये वृत्तों की स्थापना के उपरान्त कुल संचालित 04 वृत्तों के अन्तर्गत निम्नवत जिले रखे जायेंगे:–

क्रम सं.	मण्डल का नाम	वृत्त का नाम	वृत्त का मुख्यालय	वृत्त के अन्तर्गत आने वाले जनपद
1.	2	3	4	5
1.	गढवाल मण्डल–	श्रीनगर	श्रीनगर	1–नि0खण्ड, लो0नि0वि0,पोखरी 2–ग्रा0अ0से0, लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग 3–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग 4–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर 5–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार 6–पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार
2.		मसूरी	मसूरी	1–सिंचाई खण्ड–1, लो0नि0वि0, टिहरी 2–सिंचाई खण्ड–2, लो0नि0वि0, टिहरी 3–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी 4–निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कालसी 5–पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी
3.	कुमाँऊ मण्डल–	ज्योलिकोट	ज्योलिकोट	1–नि0खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट 2–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा 3–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल 4–पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल 5– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा
4.		अल्मोडा	अल्मोडा	1–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ 2–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर 3–सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत 4–ग्रा0अ0से0, लो0नि0वि0, कपकोट 5–गा0अ0से0, लो0नि0वि0, डीडीहाट 6–पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ।

6. उपरोक्त सृजन होने वाले वृत्तों में मितव्ययता के दृष्टिगत कार्यालयी स्टाफ/अन्य अधिकारियों की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में स्वीकृत स्टाफ से समायोजन द्वारा ही की जायेगी।

7. वृत्तीय कार्यालयों के मुख्यालय हेतु कार्यालयी भवन व अन्य व्यवस्था विभाग द्वारा अनुमन्यता के अनुसार नियमानुसार की जायेगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–492/XXVII (2)/2012, दि0 08.08.12 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या 759/III(1)/12–70(अधि0)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्ड़ल।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमांऊ।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि० उत्तराचल
देहरादून

पृष्ठांकन सं 1150/03 व्यय-सा./12 दिनांक 21.8.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र लो. नि. वि. पौड़ी/अल्मोड़ा
(2) अधीक्षण अभियन्ता पी. एम. जी. एस. कार्य वृत लो. नि. वि. श्रीनगर/ज्योलीकोट
(3) वैयक्तिक अधिकारी प्रमुख अभि./विभागाध्यक्ष लो. नि. वि. देहरादून
(4) श्री पुंडीर सहायक अभि. विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून,
(5) प्रशासनिक अधिकारी नियोजन II विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून
(6) पत्रावली सं 03 (3) व्यय
(7) गार्ड पत्रावली,
(8) वित्त नियंत्रक विभागाध्यक्ष कार्यालय लो. नि. वि.

1241

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

संख्या: 1768 / III(1) / 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0) / 01

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011

विषय– लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2054 / III(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या–1253 / III(1) / 06–190(पी0डब्ल्यू0डी) / 01, दिनांक 12.07.06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया था।

इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–549 / 03व्यक–सा0–उत्तराखण्ड / 2011, दिनांक 28.05.11, जिसके द्वारा शासन के उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में पुनः संरचनात्मक ढांचे में पुर्नगठन की आवश्यकता को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। अतः शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव के विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्यों की वृद्धि को देखते हुये लोक निर्माण विभाग के तकनीकी पदों के संरचनात्मक ढांचे में निम्न प्रकार से संशोधन करते हुये अतिरिक्त पद / खण्ड / वृत्त / क्षेत्रीय कार्यालय में तालिका के स्तम्भ–5 में इंगित निर्धारित वेतनमान के 197 पद तथा आऊट सोर्सिंग के आधार पर 12 पद कुल 209 अतिरिक्त अस्थाई पद दिनांक 28.02.12 तक वशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जांय, तक सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पूर्व में सृजित ढांचा / पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त पद संख्या	कुल संशोधित प्रस्तावित पद
1	2	3	4	5	6
1.	प्रमुख अभियन्ता / विभागाध्यक्ष	रू0 22400–24500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 67000–79000	–	01	01

2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	रू0 18400–22400 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 10000।	01	01	02
3.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	रू0 16400–20000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 8900।	02	02	04
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	रू0 12000–16500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600।	12	05	17
5.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	रू0 10000–15200 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600।	71	14	85
6.	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	रू0 10000–15200 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 6600।	05	01	06
7.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	रू0 8000–13500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400।	297	36	333
8.	सहायक अभियन्ता (वि0/यां0)	रू0 8000–13500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400।	26	02	28
9.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200।	792	107	899 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।
10.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200।	40	04	44 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।
11.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200।	58	02	60 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक

					अभियन्ता के हो जायेंगे।
12	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200।	81	11	92 शासनादेशानुसार उपरोक्त पदों में 75% पद अपर सहायक अभियन्ता के हो जायेंगे।
13.	मानचित्रकार	रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200।	77	11	88
14.	विधि परामर्शी	—	03	02	05 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।
15.	सहायक शोध अधिकारी	—	—	02	02 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।
16.	जूनियर कैमिस्ट	—	—	04	04 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।
17.	जूनियर लैब असिस्टेन्ट	—	—	04	04 आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

(1) प्रमुख अभियन्ता– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे,

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर–1– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 का पद विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्तर्गत 01 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय) होगे, जो मुख्यालय एवं अधिष्ठान कार्य देखेंगे तथा दूसरे मुख्य अभियन्ता स्तर–1 नियोजन, प्लानिंग, बजट, आदि कार्यों को देखेंगे।

(3) मुख्य अभियन्ता स्तर–2/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, अल्मोडा, एवं पौडी के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रा0मा0, मुख्यालय देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/आई0टी0, होंगे।

(4) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)– पूर्व में सृजित अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के अतिरिक्त सिविल वृत्त हरिद्वार हेतु 01, रा0मा0 वृत्त हल्द्वानी हेतु 01 पद, डायरेक्टर क्वालिटी प्रमोशन एवं डिजाइन हेतु 01 पद तथा 02 पद पी0एम0जी0एस0वाई0 के होंगे। पी0एम0जी0एस0वाई0 हेतु वृत्तों की पदस्थापना पृथक से की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रस्तावित उक्त 02 पद के सृजन होने पर पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के सृजित 04 निःसंवर्गीय पद में से ए0डी0बी0 हेतु 02 पद निःसंवर्गीय पद रह जायेंगे।

(5) अधिशासी अभियन्ता (सिविल)– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 14 अतिरिक्त पद/खण्ड सृजित किये गये है, जिसमें नियोजन एवं डिजाइन तथा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु 01–01 पद, रा0मा0 खण्ड हेतु 01 पद, ए0डी0बी0 खण्ड हेतु 06 पद एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड हेतु 05 पद/खण्ड होंगे। खण्डों पदस्थापना पृथक से की जायेगी।

(6) अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)– विद्युत कार्यों के सम्पादन में कठिनाई को देखते हुये देहरादून में 01 पद/खण्ड सृजित किया जायेगा तथा इसी प्रकार कुमाऊँ के अन्तर्गत कार्यभार को देखते हुये तथा मा0 उच्च न्यायालय के भवनों व राजभवन के कार्यो के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष के कार्यालय हेतु पूर्व से सृजित 01 पद को विद्युत/यांत्रिक खण्ड के रूप में स्थान भीमताल में स्थापित किया जायेगा।

(7) सहायक अभियन्ता (सिविल एवं वि0/यां0)– नये सृजित खण्ड़ों हेतु सहायक अभियन्ता (सिविल) के 36 पद एवं सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के 02 पद होंगे।

(8) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत, यांत्रिक)– नये सृजित खण्ड़ों हेतु कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 107, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के 04, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के 02 एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के 11 पद होंगे।

(9) मानचित्रकार– नये सृजित खण्ड़ों हेतु मानचित्रकार के 11 अतिरिक्त पद होंगे।

(10) विधि परामर्शी– विभाग में बढते कोर्ट केसों को देखते हुये विधि अधिकारी के 02 नये पद सृजित किये गये हैं। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

(11) सहायक शोध अधिकारी– क्वालिटी प्रमोशन सैल के दोनो क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 01–01 पद सहायक शोध अधिकारी के होंगे। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

(12) जूनियर कैमिस्ट– क्वालिटी प्रमोशन सैल के दोनो क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 02–02 जूनियर कैमिस्ट के पद होंगे। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

(13) जूनियर लैब असिस्टेन्ट– क्वालिटी प्रमोशन सैल के दोनो क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 02–02 पद जूनियर लैब असिस्टेन्ट के होंगे। उक्त पद आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे।

उक्त क्रमांक–10 से 13 में अंकित पदों का पारिश्रमिक विहित प्रक्रिया एवं मानक/मापदण्डों के आधार पर ही देय होगा।

2. शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश संख्या–2054/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 11.07.01 एवं शासनादेश संख्या–1253/III(1)/06–190(पी0डब्ल्यू0डी)/01, दिनांक 12.07.06 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–2059, लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 निदेशन तथा 051 निर्माण–03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–839/XXVII–7/11 दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1768/III(1)/11–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग।
9. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव

संख्या: 623/ III(1)/11--70(अधि0)/05

क्रमांक-116

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 28 जून, 2011

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के सम्पादन हेतु नए खण्डों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1253/III(1)/06–70(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 12.07.2006, तथा शासनादेश संख्या 1053/III(1)/07–70(अधि0)/05 दिनांक 19.07.2007 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया था, जिसमें सृजित 4 खण्डों को ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्णकालिक समर्पित खण्ड के रूप में चिन्हित किया गया था। पुनः शासनादेश संख्या–1484/III(1)/09–70(अधि0)/05 दिनांक 06.08.09 के द्वारा ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों एवं जनपदवार मार्गों की लम्बाई की अधिकता को ध्यान में रखते हुए ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु 03 नए खण्ड स्थापित किये गये। इस प्रकार विभाग में ए0डी0बी0 के कार्यों हेतु 07 खण्ड स्थापित हैं। इसी क्रम में आपके पत्र संख्या–1378/18/पी0एम0यू0/2011, दिनांक 15.04.11 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तृतीय चरण हेतु पी0एफ0आर0–III गठित किया जा रहा है, जिसके लिए सृजित किये गये 07 खण्ड/पी0आई0यू0 कार्यों की अधिकता को देखते हुये कम से कम 04 अतिरिक्त खण्ड/पी0आई0यू0 के गठन हेतु एडवेमोयर में संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 पोषित कार्यों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों एवं जनपदवार मार्गों की लम्बाई की अधिकता को ध्यान में रखते हुये कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु उक्त स्थापित 07 खण्डों के अतिरिक्त निम्न प्रकार से 04 नये खण्ड/पी0आई0यू0 स्थापित/संचालित किये जाने की श्री राजपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	नवीन खण्ड / पी0आई0यू0 का नाम	खण्ड / पी0आई0यू0 का मुख्यालय	खण्ड / पी0आई0यू0 के कार्य क्षेत्र में जनपद
1.	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर
2.	रूद्रपुर	रूद्रपुर	उधमसिंहनगर
3.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
4.	दुगड्डा	दुगड्डा	मुख्य अभियन्ता स्तर–1 से कार्यक्षेत्र दिया जायेगा।

3. उक्त स्थापित होने वाले 04 नए खण्डों (पी0आई0यू0) में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध कार्मिकों में से करते हुए इन खण्डों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

4. उक्तानुसार 04 नए खण्डों की स्थापना के उपरान्त कुल संचालित होने वाले 11 खण्डों का कार्य क्षेत्र निम्नवत रहेगा:–

क्र0सं0	खण्ड / पी0आई0यू0	खण्ड / पी0आई0यू0 का मुख्यालय	खण्ड / पी0आई0यू0 के कार्य क्षेत्र में जनपद
1.	देहरादून	देहरादून	देहरादून, हरिद्वार
2.	नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल
3.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
4.	जोशीमठ	जोशीमठ	चमोली, रूद्रप्रयाग
5.	नई टिहरी	नई टिहरी	टिहरी
6.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़, चम्पावत
7.	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल
8.	बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर
09.	रूद्रपुर	रूद्रपुर	उधमसिंहनगर
10.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
11.	दुगड्डा	दुगड्डा	मुख्य अभियन्ता स्तर–1 से कार्यक्षेत्र दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 70/XXVII (2)/2011, दिनांक 2..06.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या: 623/III(1)/11–70(अधि0)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लो0नि0वि0, गढ़वाल क्षेत्र/कुमाऊँ क्षेत्र।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0 (सड़क) लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–2।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय

पत्रांक/ के0ए0 - 727 / 196वक्र- हा0।। दिनांक 02.07.20।।

प्रस्तावित प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- मुख्य अभियन्ता सुरंग एवं पुल, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा/पौड़ी
2- परियोजना निदेशक, एन0डी0बी0/पी0एम0यू0 लोक निर्माण विभाग, इन्दौरकर्ष इन्क्लेव, दिल्ली
3- अधिशासी अभियन्ता एन0डी0बी0/पी0एम0यू0 एम0वाई0 एन0, लो0नि0वि0 श्रीनगर/रिहली
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग
5- गार्ड फाईल।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

संख्याः 1484/III(1)/09-70(अधि0)/05

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 06 अगस्त,2009

विषयः- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के सम्पादन हेतु नए खण्डों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-272/ए0डी0बी0(सी0इ0)-नियोजन-III/08 दिनांक 18.02.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1253/III(1)/06-190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 12.07.2006 तथा शासनादेश संख्या 1053/III(1)/07-70(अधि0)/05 दिनांक 19.07.2007 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किया गया था, जिसमें सृजित 4 खण्डों को ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्णकालिक समर्पित खण्ड के रूप में चिन्हित किया गया था। वर्तमान में ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों एवं जनपदवार मार्गो की लम्बाई की अधिकता को ध्यान में रखते हुए ए0डी0बी0 वित्त पोषित कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु निम्न प्रकार से 03 नए खण्ड स्थापित/संचालित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	नवीन खण्ड/ पी0आई0यू0 का नाम	खण्ड/ पी0आई0यू0 का मुख्यालय	खण्ड/ पी0आई0यू0 के कार्य क्षेत्र में जनपद
1.	नई टिहरी	नई टिहरी	टिहरी, उत्तरकाशी
2.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़, चम्पावत
3.	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल

2. उक्त स्थापित होने वाले 03 नए खण्डों (पी0आई0यू0) में अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती लोक निर्माण विभाग में उपलब्ध कार्मिकों में से करते हुए इन खण्डों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

[illegible] खण्डों का कार्य क्षेत्र निम्नवत रहेगा:–

क0सं0	खण्ड / पी0आई0यू0	खण्ड / पी0आई0यू0 का मुख्यालय	खण्ड / पी0आई0यू0 के कार्य क्षेत्र में जनपद
1.	देहरादून	देहरादून	देहरादून, हरिद्वार
2.	नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल, उधमसिंह नगर
3.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर
4.	जोशीमठ	जोशीमठ	चमोली, रूद्रप्रयाग
5.	नई टिहरी	नई टिहरी	टिहरी, उत्तरकाशी
6.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़, चम्पावत
7.	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

संख्या: 1484/III(1)/09–70(अधि0)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लो0नि0वि0, गढ़वाल क्षेत्र/कुमाऊँ क्षेत्र।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. परियोजना निदेशक/मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0 (सड़क), लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव।

पत्रांक 1516/196 एक-सा0/09 दि0 10.8.09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमाऊँ लो0नि0वि0 पौड़ी
2- परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0 (ए0डी0बी0) देहरादून
3- अधीक्षण अभियन्ता वो पूर्व लो0नि0वि0 पौड़ी/टिहरी
4- प्रशासनिक अधिकारी [illegible] ख, गो, घ एवं नि
-II मुख्य अभियन्ता स्तर-I देहरादून, [illegible]

संख्या 1253/III(1)/06– 190(पी0डब्ल्यू0डी0)/2001

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2006

विषयः–लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ाचे का पुनर्गठन।

महोदय,

योजनागत व्यय, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य मार्गो में वृद्धि, विभिन्न निर्माण के डिपाजिट कार्य तथा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदि के अतिरिक्त कार्यों के कारण लोक निर्माण विभाग के वर्तमान खण्डों के लिए प्रतिखण्ड कार्य बढा है। निर्माण कार्यों की इस वृद्धि के अनुरूप विचारोपरान्त राज्य के गठन के उपरान्त शासनादेश सं0 2054/पी0डब्ल्यू0डी0/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0–2001 दिनांक 11.07.2001 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढ़ाचे में संशोधन करते हुए प्रथम चरण में तकनीकी ढ़ावे का निम्नानुसार पुनः पुनर्गठन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–1 पूर्व की भांति उसी वेतन कम में विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल होगें।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर 2 के दो पद पूर्व की भांति उसी वेतन कम में क्षेत्रीय कार्यालय पौडी एवं अल्मोडा में बने रहेगें।
3. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में सृजित 12 पदों में 10 पद वृत्तीय कार्यालयों में तथा 02 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय में उसी वेतन क्रम में यथावत रहेगें।
4. अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पूर्व में सृजित 02 पद उसी वेतन कम में यथावत रहेगें।
5. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 58 पदों के स्थान पर अब 71 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त 71 पदों में से विभागाध्यक्ष कार्यालय में 06 पद तथा क्षेत्रीय कार्यालय में 01–01 पद यथावत रहेगें। 47 पूर्व सृजित सिविल खण्डों में वृद्धि करते हुए अब 58 सिविल खण्ड होगें। इस प्रकार नये सृजित किये जा रहें 11 सिविल खण्ड रूडकी, हरिद्वार, देहरादून, बडकोट, गोखरी, जोशीमठ, सल्ट, कपकोट, काशीपुर में तथा दो खण्डों में से प्रथम खण्ड नियोजन एवं डिजाईन तथा द्वितीय खण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल व इंचार्ज टैस्ट लैब मुख्य अभियन्ता स्तर–1,देहरादून के कार्यालय से सम्बद्ध करते हुए देहरादून में स्थापित होगें।

   उक्त के अतिरिक्त पूर्व सृजित 03 राष्ट्रीय मार्ग खण्डों में वृद्धि करते हुए अब 05 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड होगें। नये सृजित किये जा रहें 02 खण्ड कमशः अल्मोड़ा तथा पौड़ी में स्थापित होगें, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रूडकी को देहरादून में स्थानान्तरित किया जाता है।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पूर्व सृजित 05 पद यथावत रहेंगे। तथापि उक्त 05 पदों के कार्यालय निम्नवत रहेगें –

   1.विद्युत /यॉत्रिक खण्ड, देहरादून, 2. वि0/यॉ0 खण्ड, गोपेश्वर, 3. वि0/यॉ0 खण्ड, नैनीताल, 4. वि0/यॉ0 खण्ड, पिथौरागढ़, 5. विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून में एक पद।

7. सहायक अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 193 पदों में वृद्धि करते हुए अब 297 पद होगें। इस प्रकार सहायक अभियन्ता (सिविल) के 104 पद नये सृजित किये जाते है। राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं नोडल सिविल खण्डों के लिए प्रति खण्ड 04 सहायक अभियन्ता के स्थान पर 05 सहायक अभियन्ता तथा अन्य सिविल खण्डों के लिए प्रति खण्ड 03 सहायक अभियन्ता के स्थान पर 04 सहायक अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता सिविल का 01 पद प्रति वृत्त कार्यालय , 02 पद प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय तथा 13 पद विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में पूर्व की भांति रहेगें।

8. सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) के पूर्व में सृजित 19 पदों में वृद्धि करते हुए अब 26 पद होगें। इस प्रकार 07 अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहें है। उपरोक्त 26 पदों में 04 पद वि0/यॉ0 खण्ड, गोपेश्वर, 04 पद वि0/यॉ0 खण्ड, पिथौरागढ़ में, 06 पद वि0/यॉ0 खण्ड, नैनीताल में, 06 पद वि0/यॉ0 खण्ड, देहरादून में , 01 पद प्रत्येक वृत्त में, 01 पद अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, देहरादून के कार्यालय में और 01 पद सहायक अभियन्ता विद्युत व 02 पद सहायक अभियन्ता यांत्रिक के मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में स्थापित होगें।

9. कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पूर्व स्वीकृत 664 पदों में वृद्धि करते हुए अब 792 पद होगें। इस प्रकार 128 पद नये सृजित किये जा रहें है। राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं नोडल सिविल खण्डों के लिए प्रति खण्ड 16 कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थान पर 14 तथा अन्य सिविल खण्डों हेतु पूर्ववत प्रति खण्ड 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं का मानक निर्धारित किया जाता है।

10. कनिष्ठ अभियन्ता – (विद्युत/यॉत्रिक) के कुल सृजित 98 पदों, जिनमें 40 पद कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) तथा 58 पद कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के है, को यथावत रखा गया है। उपरोक्त में 08 कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) तथा 06 कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक), प्रति वि0/यॉ0 खण्ड रखे जायेगें तथा शेष 50 कनिष्ठ अभियन्ता (वि0/यॉ0) आवश्यकतानुसार सिविल खण्डों में रखे जायेगें।

11. कनिष्ठ अभियन्ता -- (प्राविधिक) के पूर्व स्वीकृति 81 पदों को यथावत रखा गया है। प्रत्येक सिविल/राष्ट्रीय मार्ग खण्ड में 01 पद, प्रत्येक वृत्तीय कार्यालय में, प्रति जोनल कार्यालय 02 पद तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में 04 पद स्थापित रहेगें।

12. मानचित्रकार के पूर्व सृजित 77 पद यथावत रहेगें। प्रत्येक सिविल एवं राष्ट्रीय मार्ग खण्ड में 01 पद प्रत्येक वृत्तीय कार्यालय में 01 पद, प्रति जोनल कार्यालय 01 पद, तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में 02 पद स्थापित रहेगें।

13. विभागाध्यक्ष मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के कार्यालय में वेतनमान रू0 12000–16500 में वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के 01 पद का सृजन किया जाता है।

14. भू–वैज्ञानिक के 02 पद वेतनमान रू0 8000–13500 में पूर्व में सृजित है, जो यथावत रहेगें। उ0प्र0 शासन में भू–वैज्ञानिक के पद का वेतनमान रू0 10000–15200 होने के दृष्टिगत भू–वैज्ञानिक के पूर्व में सृजित इन दो पदों का वेतनमान संशोधित करते हुए रू0 10000–15200 किया जाता है।

15. सहायक भू–वैज्ञानिक के 04 पद वेतनमान रू0 8000–13500 में सृजित किये जाते है, जो उत्तरांचल के विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र की सीमाओं से जुडे हुये क्षेत्रों में नियुक्त किये जायेगें। ये पद प्रथमतः प्रतिनियुक्ति से भरे जायेगें तथा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती से लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेगें।

16. विभाग में बढते हुए विधिक वादों एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विधि अधिकारी के 03 पद वेतनमान रू0 6500--10500 में सृजित किये जाते है, जिनमें 01 पद नैनीताल, 01 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा 01 पद शासन स्तर पर स्थापित रहेगा।

17. विधि सहायक वेतनमान रू0 5000–8000 में पूर्व में सृजित 02 पदों में वृद्धि करते हुए 05 पद सृजित किये जाते है। इस प्रकार 03 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किये जाते है। इनमें 02 पद विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून तथा 01–01 पद नैनीताल, अल्मोडा एवं पौड़ी में स्थापित रहेगें।

18. सर्वेयर के वेतनमान रू0 2750–4400 में 05 पद सृजित किये जाते है।

19. कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ के वेतनमान रू0 4500–7000 में 04 पद सृजित किये जाते है।

20. प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान रू0 3050–4500 में 04 पद सृजित किये जाते है।

21. कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान रू0 2750–4400 में 03 पद पूर्व से सृजित है। उपरोक्त के स्थान पर 04 पद सृजित किये जाते है।इस प्रकार 01 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किया जाता है।

22. प्रयोगशाला अनुसेवक के वेतनमान रू0 2550–3200 में 04 पद सृजित किये जाते है।

23. उपरोक्त समस्त अतिरिक्त सृजित तकनीकी पदों में सीधी भर्ती के पदों को अभियांत्रिकी विभागों से सेवा स्थानान्तरण द्वारा भरने का प्रयास किया जायेगा तथा पदोन्नति प्रचलित सेवा नियमावलियों के अनुसार ही की जायेगी।

24. 11 जुलाई, 2001 में शासनादेश संख्या 2054/पी0डब्ल्यू0डी/अभि0–2001–190 पी0डब्ल्यू0डी0/2001 में विभाग द्वारा पूर्व गठित संरचना में इंगित पदों के अतिरिक्त सृजित पद एवं संख्या यथावत रहेगें।

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापना
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	18400–22400	01	विभागाध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16400– 20000	02	पौडी/अल्मोडा
3.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12000–16500	12	09–सिविल वृत्त 01–रा0मा0 वृत्त 02–विभागाध्यक्ष
4.	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यॉ0)	12000–16500	02	02– वि0/यॉ0 वृत्तों हेतु
5.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	10000–15200	71	58–सिविल खण्ड 05–रा0मा0 खण्ड 02– क्षेत्रीय मुख्यालय 06–विभागाध्यक्ष कार्यालय
6.	अधिशासी अभियन्ता वि0/यॉ0)	10000–15200	05	04– वि0/यॉ0 खण्ड 01 विभागाध्यक्ष कार्यालय
7.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000–13500	297	05 प्रति रा0मा0 एवं नोडल खण्ड 18× 5 = 90 04 प्रति अन्य सिविल खण्ड 45× 4 = 180 01 प्रति सिविल वृत्त 10× 1= 10 02– प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 2× 2 = 4 विभागाध्यक्ष कार्यालय –13

8.	सहायक अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	8000–13500	26	04 प्रति वि0 / यॉ0 खण्ड 04× 4 = 16 01 प्रति वि0 / यॉ0 वृत्त 02× 1 = 2 02 अतिरिक्त कार्यभार के कारण नैनीताल एवं देहरादून में 02× 2 = 4 विभागाध्यक्ष कार्यालय – 03 निर्माण खण्ड, देहरादून – 01
9.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	5000–8000	792	14 प्रति रा0मा0 एवं मॉडल खण्ड 18× 14 = 252 12 प्रति अन्य सिविल खण्ड 45 × 12 = 540
10.	कनिष्ठ अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	5000–8000	98	06 कनिष्ट अभि0 विद्युत प्रति वि0 / यॉ0 खण्ड – 04 × 06 = 24 06 कनिष्ठ अभि0 यांत्रिक प्रति वि0 / यॉ0 खण्ड – 04 × 06 = 24 50– कनिष्ठ अभियन्ता वि0 / यॉ0 सिविल खण्डों हेतु
11.	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	5000–8000	81	01 प्रति खण्ड 01× 63 = 63 01 प्रति वृत्त 01× 10 = 10 02 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 02× 2 = 04 विभागाध्यक्ष कार्यालय – 04
12.	मानचित्रकार	4000–6000	77	01 प्रति सिविल खण्ड 63× 1 = 63 01 प्रति वृत्त 10× 1 = 10 01 प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 2× 1= 2 विभागाध्यक्ष कार्यालय– 02
13	वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक	12000–16500	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय –01
14	भू–वैज्ञानिक	10000–15200	02	01– प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय 2× 1= 2
15	सहायक भू0वैज्ञानिक	8000–13500	04	पर्वतीय जनपदों हेतु
16	विधि अधिकारी	6500–10500	03	01– विभागाध्यक्ष कार्यालय 01 – नैनीताल उच्च न्यायालय हेतु 01– शासन स्तर पर

d

17	विधि सहायक	5000–8000	05	01 -- विभागाध्यक्ष कार्यालय 01 -- नैनीताल उच्च न्यायालय हेतु 01 -- पौडी/अल्मोड़ा हेतु 2× 1= 2
18.	कनिष्ठ सहायक रसायनज्ञ	4500–7000	04	–
19.	प्रयोगशाला सहायक	3050–4590	04	–
20.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	2750–4400	04	–
21.	सर्वेयर	2750–4400	05	–
22.	प्रयोगशाला अनुसेवक	2550–3200	04	–

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या 1253/III(1)/06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तरांचल देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौडी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. निदेशक कोषागार, उत्तरांचल देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता गढवाल/कुमायूँ, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा।
7. वित्त अनुभाग–2/लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दी0के0पन्त)
संयुक्त सचिव।

A-3

उत्तरांचल शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1,
संख्या 2324/III(1)/05–44(अधि0)/05
देहरादून, दिनांक 22 नवम्बर,2005

–कार्यालय ज्ञाप–

जनपद उत्तरकाशी में निर्माण कार्यों के शीघ्रता से निष्पादन हेतु जनहित को ध्यान मे रखते हुए एवं इस विषय में पूर्व में पारित आदेशों को अतिकमित करते हुए राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी को निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,उत्तरकाशी के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगें ।

भवदीय,

(डा0एस0एस0सन्धू)
सचिव।

संख्या 2324/III(1)/05तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम),उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल,पौडी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग,पौडी/अल्मोडा।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
7. वित्त अनुभाग–3,उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

250

A-2

(3)

उत्तरांचल शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या 2324/111(1)/05–44(उ0 ख0)/05
देहरादून दिनांक 10 नवम्बर 2005

कार्यालय–ज्ञाप

जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राज–मार्ग के कार्यों के शीघ्रता से सम्पादन हेतु जनहित को ध्यान में रखते हुये एवं इस विषय में पूर्व में पारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निर्माण खण्ड, बडकोट को राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, बडकोट के रूप में परिवर्तित किया जाता है ।

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे ।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0सन्धू)
सचिव ।

संख्या 2324/111(1)/05 तददिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल ।
2. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून ।
3. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4. प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, पौडी/अल्मोडा ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल ।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
8. गार्ड पत्रावली हेतु ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनुसचिव ।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो0नि0वि0, देहरादून

पत्रांक 2034/09 अक0 स्था0/05 दिनांक 16-11-2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (ग0 क्षेत्र) लो0नि0वि0 पौडी
2. मुख्य अधीक्षण अभियन्ता 13/रा0मा0इ0, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी
3. अधिशासी अभियन्ता रा0मा0ख0/निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट
4. प्रशासनिक अधिकारी मु0ता0 को सूचना हेतु।
5. मुख्य लेखाकार

A-1

उत्तरांचल शासन,
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या 1791/ III–1/04– 75 /04
देहरादून दिनांक 31 जुलाई 2004

–कार्यालय ज्ञाप –

शासन के अग्रिम आदेशों तक राष्ट्रीय मार्ग खण्ड काशीपुर का नाम परिवर्तित करते हुये निर्माण खण्ड,काशीपुर तथा वि0/यां0 खण्ड हल्द्वानी का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,हल्द्वानी किया जाता है ।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें ।

N. Ravi Shankar
(एन0 रवि शंकर)
सचिव

संख्या 1791/ III(1)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त,गढवाल/कुमाऊ मण्डल,पौडी/नैनीताल ।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
4. मुख्य अभियन्ता,स्तर–1 लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।
5. मुख्य अभियन्ता,स्तर–2 लोक निर्माण विभाग,पौडी/अल्मोडा ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,उत्तरांचल ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,उत्तरांचल।
8. लोक निर्माण अनुभाग–2,उत्तरांचल शासन ।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लो० नि० वि० देहरादून.

पृ० सं० 1182/3 व्यय-पुनर्गठन/उत्त०/2004 दिनांक 31-7-2004

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

1- मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि० पौडी/अल्मोड़ा
2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो० नि० वि० उत्तरांचल, उक्त पत्र की प्रति अपने अधिनस्थ वर्गों को फैक्स करके कब्र करें,
3- समस्त अधिशासी अभियन्ता लो० नि० वि०
4- गार्ड पत्रावली
5- स्तर-1 कार्यालय के समस्त वर्गों हेतु, 'अ'

अधिशासी अभियन्ता
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून

संख्याः 2054पी0डब्लूडी/अभि0-2001-190पी0डब्लूडी-2001

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(स्तर-1),
उत्तरांचल देहरादून।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून : दिनांक 11 जुलाई, 2001

विषयः- उत्तरांचल राज्य में लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

श्रीमान्-ढांचे महोदय,

उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त राज्य के विषम भौगोलिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए इस नवगठित राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़क निर्माण, सेतु निर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण उनका रख-रखाव एवं आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण का कार्य मुख्य रूप से सम्पादित किया जाता है। प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थानों को सड़कों, सम्पर्क मार्गों एवं सेतुओं से जोड़ कर प्रदेश के आर्थिक विकास की गति को गतिमान प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है। अतः विभाग के निम्नानुसार पुनर्गठन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को उसी वेतनक्रम में विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है। विभागाध्यक्ष का मुख्यालय फिलहाल देहरादून में रहेगा।

2- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाता है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा होगा। पौड़ी में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का पद पहले से ही सृजित है। अतः अल्मोड़ा एवं पौड़ी में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का क्षेत्रीय कार्यालय पूर्ववत बने रहेंगे।

(क्रमशः 2)

3. मुख्य अभियन्ता स्तर [illegible] तथा स्टाफ आफिसर के रूप में अधिशासी [illegible]त किया जायेगा ।

4. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 12 पद एवं अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के 02 पद पूर्व से सृजित है। अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल) के 12 में से 02 पद अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) स्तर के अधिकारी, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर के रूप में वि. भागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात रहेगें ।

5. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 60 पदों के सापेक्ष 58पद रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।उक्त 58 पदों में से 50 पद 50सिविल खण्डो (राजधानी में बढ़े हुये भवनों के कार्यों के लिये एक अतिरिक्त खण्ड सहित), 2 अधिशासी अभियन्ता जोनल मुख्यालयों पर मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के स्टाफ आफिसर के रूप में तथा 06 अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष के कार्यालय में तैनात रहेगें । अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत/यान्त्रिक) के कुल 5 पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से चार अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत/यान्त्रिक), विद्युत/यान्त्रिक खण्डो में तैनात रहेगें तथा एक अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत/यान्त्रिक) विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात किया जायेगा ।

6. राजधानी में बढ़े हुये निर्माण कार्य के लिये एक अतिरिक्त सिविल खण्ड सृजित किया जा रहा है जिसके लिये अधिशासी अभियन्ता (सिविल) का पद उक्त 58 पदों में सम्मिलित है ।

7. राष्ट्रीय मार्ग खण्डो एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक राष्ट्रीय मार्ग वृत्त सृजित किया जाता है परन्तु इस हेतु कोई नया पद सृजित न करके जहरीखाल (पौड़ी-गढ़वाल) के 63वें वृत्त को राष्ट्रीय राज मार्ग वृत्त के रूप में देहरादून में स्थापित किया जाता है । जयहरीखाल वृत्त अन्तर्गत कार्यरत तीन खण्डो के पर्यवेक्षण का कार्य अधीक्षण - अभियन्ता, 36वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा किया जायेगा । देहरादून में स्थापित यह राष्ट्रीय मार्ग वृत्त क्रमशः रुड़की, काशीपुर एवं उत्तर-काशी राष्ट्रीय मार्ग खण्डो का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण करेगा तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा । विभाग में पूर्व से कार्यरत शेष सिविल के नौ तथा वि0/या0 के दो वृत्त तथा सिविल के 49 एवं वि0/या0 के चार खण्ड यथावत् कार्य करते रहेगें ।

क्रमशः...7...पर

8. राष्ट्रीय राज मार्ग खण्डों एवं मोटर सिविल खण्डों के लिये प्रति चार सहायक अभियन्ता तथा अन्य सिविल खण्डों के लिये प्रति खण्ड चार के स्थान पर तीन सहायक अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है।

9. राष्ट्रीय राज मार्ग एवं मोटर सिविल खण्डों में 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड का मानक एवं शेष खण्डों में 14 से 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड के मानक के स्थान पर 12 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड का मानक निर्धारित किया जाता है। विद्युत/यान्त्रिक खण्ड हेतु प्रति खण्ड 12 अवर अभियन्ता तथा प्रति सिविल खण्ड में एक विद्युत/यान्त्रिक अवर अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है।

10. विभाग में वित्तीय अनुशासन एवं नियन्त्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून में वित्त नियन्त्रक का एक पद सृजित किया जाता है। यह पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से भरा जायेगा। इसके अतिरिक्त सहायक अभियन्ता, वि0/यां0 के तीन, अवर अभियन्ता, वि0/यां0 के 12, अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के पांच, मानचित्रकार के 15, रेखाकार के दो कार्यालय अधीक्षक के 09, मुख्य लिपिक का एक, वैयक्तिक सहायक/आशुलिपि के 12, सहायक लेखाधिकारी का एक, लेखाकार के दो, सहायक लेखाकार के 05, सहायक वास्तुविद् के दो, भू-वैज्ञानिक का एक, जमीन के 69, दफ्तरी के 05, जीप/कार चालक के 17, खण्डीय लेखाकार के एक पद का भी सृजन किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् उल्लिखित है।

11. सहायक शोध अधिकारी, भण्डार अभिरक्षक, वाटर मैन, नील मुद्रक, नायब-तहसील दार, सुपर नाइजर कानूनगो के संवर्ग मूल घोषित किये जाते

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1.	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1	18400-22400	01	विभागाध्यक्ष
2.	वित्त नियन्त्रक	वित्त/लेखा संवर्ग	01	मुख्यालय पर
3.	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2	16400-20000	02	अल्मोड़ा/पौड़ी
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12000-16500	12	1. वृत्त मुख्यालय-1 2. विभागाध्यक्ष मुख्यालय पर दो पद

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

1	2	3	4	5
5.	अधीक्षण अभियन्ता, (वि0/यो0)	12000-16500	02	वि0/यो0 वृत्तों के हेतु
6.	अधिशासी अभियन्ता, (सिविल)	10000-15200	58	1. सिविल खण्ड मुख्यालय हेतु-47 2. एन0एच0खण्ड-3 3. जोनल मुख्यालय-02 4. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता, स्तर-1) मुख्यालय-06 पद
7.	अधिशासी अभियन्ता, (वि0/यो0)	10000-15200	05	1. वि0/यो0 खण्ड मुख्यालय-04 2. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता, स्तर-1) मुख्यालय पर एक
8.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000-13500	193	1. एन0एच0 व नोडल सिविल खण्ड-4 प्रति खण्ड 16×4=64पद 2. अन्य सिविल खण्ड-3 प्रति खण्ड 34×3= 102पद 3. सिविल वृत्त में एक सहायक अभियन्ता प्रति वृत्त 10×1=10 4. जोनल मुख्यालय प्रति जोन-2पद 2×2=4 5. विभागाध्यक्ष, (मुख्य अभियन्ता, स्तर-1) मुख्यालय पर 13पद
9.	सहायक अभियन्ता, (वि0/यो0)	8000-13500	19	1. वि0/यो0खण्डों में 4 चार सहायक अभियन्ता प्रति खण्ड 4×4=16 पद 2. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर-1 मुख्यालय पर-03
10.	अवर अभियन्ता, (सिविल)	4500-7000.	664	1. एन0एच0 तथा नोडल सिविल खण्ड-16 प्रति खण्ड 16×16= 256पद 2. अन्य सिविल खण्ड 12 प्रति खण्ड 34×12= 408पद

क्रमशः..

1	2	3	4	5
11.	अवर अभियन्ता (वि0/यां0)	4500-7000	1. विद्युत-40 2. यान्त्रिक 58 कुल 98	1. वि0/यां0खण्ड प्रति खण्ड-12 48 2. सिविल खण्ड-50 ति खण्ड-01 =50पद
12.	अवर अभियन्ता (प्राविधिक)	5000-8000	81	1. नोडल सिविलखण्ड हेतु 02पद प्रतिखण्ड 13×2=26 2. अन्य सिविल खण्ड हेतु 01पद प्रतिखण्ड 37×1=37 पद 3. सिविल वृत्त में एक प्रति वृत्त =10पद 4. विभागाध्यक्ष (मुख्य-अभियन्ता, स्तर-1) 04पद 5. जोनल मुख्यालय-02 प्रति जोन 2×2=4
13.	मानचित्रकार	4000-6000	77	1. सिविलखण्ड हेतु एक प्रति खण्ड 50×1=50 2. सिविल वृत्त हेतु एक प्रति वृत्त =10 3. जोनल मुख्यालय एक 2×1=2 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 मुख्यालय 15
14.	रेखाकार	2550-3200	04	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 मुख्यालय पर दो पद तथा जोनल मुख्यालय पर एक प्रति जोन
15.	कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	11	जोनल मुख्यालय-02 मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (विभागाध्यक्ष) मुख्यालय पर 09 पद
16.	कार्यालय अधीक्षक	5000-8000	12	वृत्त मुख्यालय पर-12
17.	मुख्य लिपिक	4500-7000	54	खण्डीय कार्यालय हेतु 54 1. सिविल खण्ड-50 2. वि0/यां0खण्ड-4

क्रमशः.....

1	2	3	4	5
18.	वैयक्तिक सहायक/ कन्सोल आपरेटर	6500-10500	1	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, के साथ सम्बद्ध
	वैयक्तिक सहायक/ कन्सोल आपरेटर	5500-9000	2	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के साथ सम्बद्ध
	आशुलिपिक /कन्सोल आपरेटर	5000-8000	15	अधीक्षण अभियन्ताओं/वरिष्ठ वास्तुविद के साथ सम्बद्ध
	आशुलिपिक /कन्सोल आपरेटर	4000-6000	65	अधिशासी अभियन्ताओं/वास्तुविद उप निदेशक के साथ सम्बद्ध
19.	वरिष्ठ सहायक	4500-7000	178	1. खण्डीय कार्यालय-108 2. वृत्त मुख्यालय-36 3. जोनल मुख्यालय-12 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, मुख्या. -22पद
20.	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	522	1. खण्डीय कार्यालय-477पद 2. वृत्तीय कार्यालय-24 3. जोनल मुख्यालय-06 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, मुख्यालय पर-15
21.	कनिष्ठ लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	3050-4590	465	1. खण्डीय कार्यालय-324 2. वृत्तीय कार्यालय-84 3. जोनल मुख्यालय-20 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 37पद
22.	सहायक लेखाधिकारी	लेखा संवर्ग	01	विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, मुख्यालय-01
23.	लेखाकार	लेखा संवर्ग	03	--- तदैव-----
24.	सहायक लेखाकार	4000-6000	05	---- तदैव-----
25.	वरिष्ठ वास्तुविद्	12000-16500	01	---- तदैव ----
26.	वास्तुविद्	10000-15200	01	---- तदैव ----
27.	सहा0वास्तुविद्	8000-13500	02	----- तदैव ----
28.	उप निदेशक, अन्वेषण	10000-15200	01	----- तदैव ----
29.	भू-वैज्ञानिक	8000-13500	02	प्रति जोनल कार्यालय हेतु एक
30.	विधि सहायक	5000-8000	02	विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्तास्तर-1 मुख्यालय
31.	अमीन	2 /-4400	100	50×2 (सिविल खण्ड हेतु) 100पद
32.	दफ्तरी	<r>0-4400	72	1. खण्डीय कार्यालय-54 2. वृत्तीय कार्यालय-12 3. जोनल मुख्यालय-2 4. मु0 अभि0 (स्तर-1) =04पद

क्रमशः

1	2	3	4	5
33.	चपरासी	2550-3200	289	1. खण्डीय कार्यालय 54×4= 216 2. वृत्तीय कार्यालय 12×3=36 3. जोनल मुख्या 02×4=08 4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (विभागाध्यक्ष कार्या)=29
34.	जीप/कारचालक	3050-4590	137	1. खण्डीय कार्या 054×2=108 2. वृत्तीय कार्या 012×1=12 3. जोनल मुख्या 02×2=4 4. मुख्य अभि. स्तर-1 कार्यालय में 13
35.	डाक रनर	2550-3200	10	मुख्य अभि. स्तर-1 कार्यालय में-10
36.	खण्डीय लेखाकार	विभाग के अधिष्ठान व्यय पर ए.जी. द्वारा तैनाती की जाती है ।		54 खण्डीय कार्यालयों हेतु ।

निम्नलिखित संवर्गों को मृत घोषित करते हुये उनके सम्मुख अंकित रिक्त पदों को समाप्त किया जाता है :-

1.	भण्डार अभिरक्षक	28 पद
2.	नायब तहसीलदार	02 पद
3.	सुपरवाइजर कानूनगो	02 पद
4.	नील मुद्रक	49 पद
5.	सहायक शोध अधिकारी	01 पद
6.	वाटर मैन	67 पद

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल) 10/7/2001

सचिव ।

संख्या 2054(1)/मी0क्लूडी-अभि0-2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून ।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद (उ0प्र0) ।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून तथा कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल।
6. गार्ड बुक

आज्ञा से,

(एन0एस0 नपलच्याल)

सचिव ।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र)
उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग पौड़ी

पत्रांक- 2093 /544 व्यवस्था-2001 दिनांक अगस्त 2001

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गढ़वाल क्षेत्र को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर
गढ़वाल क्षेत्र लो0नि0वि0 पौड़ी ।

2100325